प्रेस नोट दिनांक 07.09.2023
थाना शाही जनपद बरेली।

(हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान की कार्यवाही के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शाही द्वारा पुलिस टीम उ0नि0 अमित कुमार, उ0नि0 श्री बाबू खाँ, का0 187 उत्तम कुमार, का0 2246 सचिन कुमार, का0 3443 सोविन्द सिंह के साथ आज दिनांक 07/09/2023 को थाना शाही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2023 धारा 302/506 भादवि0 के प्रकाश में आये घटना में संलिप्त अभियुक्त मिश्रीलाल उर्फ एमएल राजपूत पुत्र लाखनराम राजपूत निवासी ग्राम सेवा ज्वालापुर थाना शाही जनपद बरेली को थाना शाही क्षेत्रांतर्गत फरीदापुर भट्टे के पास गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 23.08.2023 को स्थानीय थाना शाही पर वादी श्री छेदालाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सेवा ज्वालापुर थाना शाही जनपद बरेली की लिखित सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 198/2023 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान प्रकाश मे आया कि वादी के छोटे भाई श्री घनश्याम की पत्नी श्रीमती वीरावती (मृतका) के बच्चे गांव मे ही रहकर पढते हैं, जबकि मृतका के पति श्री घनश्याम अपने दो बडे भाईयो 01. सेवाराम एंव 02. खेमकरन के साथ गुरदासपुर (पंजाब) मे रहकर छोले भटूरे के ठेला लगाने का काम करते हैं। घटना वाले दिन दिनांक 23.08.2023 को मृतका श्रीमती वीरावती अपने बच्चों को स्कूल भेजकर धान के खेत में यूरिया खाद लगाने आयी थी, लेकिन जब बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद वीरावती घर नही पहुंची तो बच्चों व परिवार के अन्य लोगों को चिन्ता हुई। इस पर मृतका की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष व उम्र करीब 12 वर्ष अपनी माता को तलाश करते हुए खेतों पर पहुंची तो बच्चियों ने अपने बडे ताऊ श्री सेवाराम के ईंख के खेत में अपनी माता श्रीमती वीरावती की उन्हीं की साडी से फन्दा लगाकर हत्या करके खेत से निकल कर भागते हुए गांव के ही मिश्रीलाल उर्फ एमएल राजपूत पुत्र लाखनराम राजपूत को देखा जिसे देखकर बच्चियों ने डरकर चिल्लाना शुरु कर दिया जिस पर अभियुक्त मिश्रीलाल द्वारा बच्चियों को यह भी धमकी दी गयी थी यदि किसी को कुछ बताया तो तुम्हे भी तुम्हारी मम्मी की तरह जान से मार दूंगा। क्योकिं मृतका की दोनो पुत्रियां घटना के बाद से काफी भयभीत और सहमी हुई थी इसलिये उन्होने इस बात की जानकारी उसी समय अपने परिवार को ना देकर कुछ दिन बाद सच्चाई अपने पिता श्री घनश्याम को बतायी। इसके उपरान्त मृतका के परिजनो एवं दोनो पुत्रियो द्वारा इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गयी।

विवेचना के दौरान प्रकाश मे आये महत्वपूर्ण तथ्यः-

- घटना के दिन गांव से घटनास्थल की ओर जाते समय अभियुक्त मिश्रीलाल कुर्ता - पजामा पहने था, जबकि घटना के उपरान्त जंगल से वापस लौटते समय नेकर बनियान पहने था। कुर्ता पजामा गायब थे।
- अभियुक्त कभी भी खेत पर चारा लेने नहीं जाता था, लेकिन घटना वाले दिन जंगल से दिखावे के लिये थोडी सी घास लेकर गांव लौटा।
- घटना से करीब 02 माह पूर्व भी अभियुक्त मिश्रीलाल द्वारा श्रीमती वीरावती (मृतका) को जंगल मे अकेला देखकर उनके साथ जबरदस्ती/अश्लील हरकत की थी, लेकिन शोर मचाने पर मिश्रीलाल मौके से भाग गया था। इस बात की जानकारी मृतका ने अपनी बहन के पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी थानपुर थाना

फतेहगंज पश्चिमी बरेली को दी थी, लेकिन रंजिश हो जाने की सम्भावना के चलते मृतका ने इस बारे मे अपने पति एवं परिवार के अन्य लोगों को नहीं बताया था।

घटनास्थल:-सेवाराम का ईंख का खेत वहद ग्राम सेवा ज्वालापुर थाना शाही जिला बरेली
अभियोग का विवरण:-मु0अ0सं0 198/2023 धारा 302/506 भादवि थाना शाही जनपद बरेली।
वादी का नाम / पता - श्री छेदालाल पुत्र पूरनलाल निवासी ग्राम सेवा ज्वालापुर थाना शाही जनपद बरेली उम्र 45 वर्ष
मृतका का नाम / पता -श्रीमती वीरावती पत्नी घनश्याम सेवा ज्वालापुर थाना शाही जनपद बरेली उम्र करीब 38 वर्ष
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
(1) मिश्रीलाल उर्फ एमएल राजपूत पुत्र लाखनराम राजपूत निवासी ग्राम सेवा ज्वालापुर थाना शाही बरेली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 श्री सतेन्द्र भडाना थाना शाही जनपद बरेली
2. व0उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना शाही जनपद बरेली
3. उ0नि0 श्री बाबू खाँ थाना शाही जनपद बरेली
4. का0 187 उत्तम कुमार थाना शाही जनपद बरेली
5. का0 2246 सचिन कुमार थाना शाही जनपद बरेली
6. का0 3443 सोविन्द सिंह (चालक) थाना शाही जनपद बरेली